

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 08.12.2025

दबिश के दौरान 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में जनपद में वांछितों व न्यायालय में हाजिर न होने वाले अभियुक्तों के खिलाफ जारी गैर जमानतीय वारण्ट के तहत फरार चल रहे अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में- *थाना धनघटा पुलिस द्वारा* 01 वारण्टी नाम पता मजीबुर्हमान पुत्र शेखावत ग्राम नेतवापुर थाना धनघटा जनपद सन्तकबीरनगर संतकबीरनगर को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया ।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण:- उ0नि0 लालबिहारी निषाद, का0 गौतम कुमार ।

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 05 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

थाना बेलहरकला पुलिस द्वारा 170/126/135 बीएनएसएस में 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया ।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 5997 द्वारा दुर्घटना में घायल 02 महिलाओं को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 5997 को थाना दुधारा क्षेत्रांतर्गत चोरहा से कालर द्वारा ट्रेलर द्वारा स्कूटी में टक्कर होने के कारण दुर्घटना में घायल 02 महिलाओं (01. रितु पुत्री बाकेलाल 02. सावित्री देवी पत्नी शिवगुलाम प्रजापति निवासीगण करमा महन्त थाना पुरानी बस्ती जनपद बस्ती) के सम्बन्ध में सूचना दिया, सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिलाओं को 108 एम्बुलेंस की सहायता से ईलाज हेतु सी0एच0सी सेमरियावा भेजवाया गया । घटना के सम्बन्ध में थाना दुधारा को अवगत कराया गया । पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुँचकर दुर्घटना में घायल महिलाओं को ईलाज हेतु सी0एच0सी सेमरियावा भेजवाया गया । जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी । पीआरवी स्टाफ- मु0आ0 धनंजय सिंह, आ0 सूरज भारती, हो0चा0 बृजेश यादव ।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 142 वाहनों से 1,72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 08.12.2025 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 142 वाहनों से 1,72,000 रु0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक सजा व कुल 6000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 08.12.2025 को *मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर* के द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक सजा तथा 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरण:-

एनसीआर नं0 136/2005 धारा 323/504/506 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1-अरुण चन्द्र मिश्र पुत्र दिवाकर मिश्र 2- कबीरचन्द्र मिश्र पुत्र अरुणचन्द्र मिश्र निवासीगण तेनूडाड मझारी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 03-03 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा ।

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक सजा व कुल 3600 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 08.12.2025 को *मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर* के द्वारा 03 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक सजा तथा 1200-1200 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरण:-

एनसीआर नं0 63/2001 धारा 323/504 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1-निसार अहमद पुत्र अली रजा 2- जाफर हैदरी पुत्र निसार अमहद 3-मुसई पुत्र निसार अहमद निवासीगण हरदी थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 1200-1200 रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 15-15 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा

“ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस की सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मारपीट के मामले में 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक सजा व कुल 6000 रु0 के अर्थदण्ड से किया गया दण्डित

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन में “ऑपरेशन कनविक्शन” अभियान के तहत संतकबीरनगर पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दिनांक 08.12.2025 को *मा0 न्या0 सीजे(एसडी) /एसीजेएम संतकबीरनगर* के द्वारा 02 अभियुक्तों को न्यायालय उठने तक सजा तथा 03-03 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

विवरण:-

एनसीआर नं0 74/2004 धारा 323/504/506 भादवि थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर से सम्बन्धित अभियुक्तगण नाम पता 1-त्रिभुवन पुत्र विशुन 2- कोईल पुत्र ज्ञानदास निवासीगण ककरहियापार थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर न्यायालय उठने तक की सजा व 03-03 हजार रुपये का जुर्माना, जुर्माना अदा न करने पर 30-30 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा ।